सूचना का अधिकार
लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन
(Proactive disclosure by public Authority)

सूचना के अधिकार अधिनियम

2005

के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये
17 मेनुअल
(धारा 4 के अनुपालन में)
मैनुअल संख्या 5

भाग –2 (घ)
वर्ष 2009–10

उच्च शिक्षा निदेशालय,उत्तराखंड
हल्द्वानी(नैनीताल)

संख्या 55/XXiv(6)/201

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— **कुलपति**,
कुमांऊ विश्वविद्यालय, **नैनीताल**/उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, **हल्द्वानी**/ दून विश्वविद्यालय, **देहरादून** तथा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) **श्रीनगर गढ़वाल।**

2— **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, **हल्द्वानी जिला नैनीताल।**

शिक्षा अनुभाग—6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 2 मार्च, 2010

विषयः शासनादेश संख्याः 138/XXiv(6)/2009 दिनांक 11 नवम्बर—2009 में आंशिक संशोधन/कतिपय पदों के वेतनमानों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों यथा— कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, दून विश्वविद्यालय देहरादून तथा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व अर्थात 14 जनवरी, 2009 तक) तथा राजकीय महाविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के पूर्णकालिक यू0जी0सी0 वेतनधारी शैक्षिक तथा अन्य समकक्ष पदों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित नवीन वेतनमानों (विशेष भत्ते को छोड़कर) को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू किये जाने के आदेश शाससनादेश संख्याः138/XXiv(6)/2009 दिनांक 11 नवम्बर—2009 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2— उक्त शासनादेश दिनांक 11नवम्बर, 2009 के परिप्रेक्ष्य में कुलसचिव, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल ने अपने पत्र संख्या मान्यता/शै0व्य0/विविध 1061 दिनांक 17 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के संलग्नक 2 पर उल्लिखित तालिका को निम्नवत् संशोधित किये जाने के एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	वर्तमान वेतनमान 1—1—2006 से पूर्व	दिनांक 1—1—2006 से संशोधित वेतन संरचना/ढ़ाचा			
			प्रस्तावित पदनाम	वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रवक्ता, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष समकक्ष पद	8000—275—13500	असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	वेतन बैण्ड—3	15600—39100	6000

2	प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान)	10000–325–15200	तदैव	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7000
3	रीडर (उपाचार्य) उप पुस्तकालया ध्यक्ष	12000–420–18300	एसोसिएट प्रोफेसर, उप पुस्तकालया ध्यक्ष	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	8000
4	रीडर (उपाचार्य) उप पुस्तकालया ध्यक्ष	12000–420–18300 (ए0जी0पी0 8000 में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	एसोसिएट प्रोफेसर, उप पुस्तकालया ध्यक्ष	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	9000
5	प्रोफेसर (आचार्य) विश्वविद्यालय पुस्तकालया ध्यक्ष	16400–22400	प्रोफेसर	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000

3– उपरउल्लिखित शासनादेश दिनांक 11, नवम्बर,–2009 की शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 3055/XXVii(7)/**2010** दिनांक 22 फरवरी 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीया
ह0/–
(राधिका झा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–– **/xxiv(6)/2010** **दिनांकितः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– उपसचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्याः1–32/2006–यू–।।/यू–।(i) दिनांक 31, दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4– अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3 एवं 7 उत्तराखण्ड शासन।
7– उच्च शिक्षा अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सविच, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
10– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
11– संबंधित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/–
(पी0एल0 शाह)
उप सचिव।

संख्याः 490 / XXiV(7)/51(3)2010

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनांक 10 मार्च, 2010

विषयः– राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2009–10 हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की व्यवस्था किये जोने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश **संख्याः 443 / XXiV(7)/51(3)2010** दिनांक 03 मार्च, 2010 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 15 राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रमों में एन0सी0टी0ई0 विनियिम, 2007 के मानकानुसार गत शैक्षणिक सत्र 2008–09 में सेवायोजित शैक्षणिक, तकनीकी एवं शिक्षणेत्तर संविदाधारकों को विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप तथा भविष्य में इसे दृष्टान्स्त के रूप में मान्य न किये जाने के दृष्टिगत पुनः मात्र शैक्षणिक सत्र 2009–10 हेतु संविदान्तर्गत आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1– कार्यरत शैक्षणिक, तकनीकी एवं शिक्षणेत्तर संविदाधारकों के द्वारा विगत अवधि में कृत क्रिया कलापों, शैक्षणिक एवं अन्य रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन संबंधित प्राचार्यो के द्वारा किया जाएगा। अनुपयुक्त संविदाधारकों को छोड़ते हुए उपयुक्त कार्मिक की ही निदेशक, उच्च शिक्षा की सम्मति से संविदा अवधि विस्तारित की जाए।

2– शैक्षणिक सत्र 2009–10 की समाप्ति के उपरान्त संविदाधारकों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

3– संविदा धारक कर्मी नियमित सेवा कर्मी नहीं है। इन संविदाधारकों की संविदा अवधि की सेवाओं को नियमित नहीं माना जायेगा तथा कालान्तर में उक्त संविदाधारकों द्वारा प्रश्नगत सेवाओं के आधार पर राजकीय सेवाओं / प्रबन्धकीय अनुदानित महाविद्यालयों आदि में समायोजन / सेवा स्थानान्तरण हेतु किया गया कोई भी दावा विधिमान्य नहीं होगा।

4– शैक्षणिक सत्र 2009–10 हेतु संविदा धारकों की कुल अवधि 11 माह से अधिक नहीं होगी।

5– शैक्षिक सत्र की अवधि में अनुशासनहीनता, कदाचार, उच्चादेशों की अवहेलना, विधि विरूद्ध कृत्य करने तथा पठ्न–पाठन में उदासीनता बरतने की स्थिति में ऐसे संविदाधारकों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी तथा ऐसे कर्मी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

6–प्रशासनिक स्टाफ के पदों पर कार्मिकों की व्यवस्था उपनल/पी0आर0डी0/हिल्ट्रान के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। इन संविदाधारकों का मानदेय कार्मिक उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के संबंधित शासनादेशों के अनुरूप होगा। अपरिहार्य कारणों से जिन महाविद्यालयों के द्वारा विगत सत्र 2008–09 में इन पदों पर उपनल/पी0आर0डी0 के अतिरिक्त अन्य स्रोत से व्यवस्था की गयी थी, वे सत्र 2009–10 हेतु इन पदों पर संविदाधारकों की व्यवस्था उपनल/पी0आर0डी0/हिल्ट्रान के माध्यम से किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

7– ऐसे राजकीय महाविद्यालयों जिनमें विगत शिक्षण सत्र 2008–09 में एन0सी0टी0ई0 से मान्यता विलम्ब से मिलने के कारण पाठ्यक्रम आरंभ नहीं किया जा सका तथा ऐसे महाविद्यालय जिनमें शिक्षण सत्र 2008–09 में पद रिक्त रहे उनमें शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर संविदाधारकों की व्यवस्था एन0सी0टी0ई0 के विनियम 2009 के नवीन मानकों के अनुसार की जायेगी। इस संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
ह0/–
(राधिका झा)
अपर सचिव,

पृष्ठांकन संख्याः **(1)XXiV(7)/51(3)2010** तद्दिनांक

प्रतिलिपि– उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/–
(पी0एल0 शाह)
उपसचिव

क्रम संख्या–02

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 10 / xxxvi(3) / 2010 / 15(1) / 2009

देहरादून,06 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'देव संस्कृति विश्वविद्यालय,2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2010)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय (संसोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रबृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2– देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2002) में जहॉ–जहॉ शब्द ''उत्तरांचल आया है वहॉ ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उपधारा(1) के खण्ड (घ) एवं (थ) का प्रतिस्थापन

3– मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) एवं (थ) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिये जायेंगेः अर्थात्–

''(घ) दूरस्थ शिक्षा पद्धति का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों,, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर आनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधिया।, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–लर्निग पत्राचार पाठ्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो,''

''(थ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित देव संस्कृति विश्वयविद्यालय से जिनकी समस्त गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं शिक्षा निर्देशों का पालन करेगा,''

धारा 4 की उपधारा(5) का प्रतिस्थापन

4– मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात–

''(5) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्यालय शान्तिकुंज, हरिद्वार उत्तराखण्ड में स्थित होगा और वह अपनी अधिकारिता के अन्दर राज्य में ऐसी अन्य जगहों पर भी अपने परिसर स्थापित कर सकता है।

आज्ञा से,
राम दत्त पालीवाल,
सचिव,

क्रम संख्या–05 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 13 / xxxvi(3) / 2010 / 18(1) / 2009

देहरादून,06 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम ,2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2010)

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

1–(1) इस अधिनियमय का संक्षिप्त नाम इक्फाई विश्वविद्यालय (संसोधन) अधिनियम 2009 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2– इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 16,वर्ष 2003) में जहॉ–जहॉ शब्द ''उत्तरांचल'' आया है वहॉ ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उपधारा(1) के खण्ड (घ),(ट), (ढ़) एवं (न)का प्रतिस्थापन

3– मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ध),(ट),(ढ़) एवं (थ) के स्थान पर निम्न उपधारा रख दी जायेंगीः अर्थात्–

''(घ) दूरस्थ शिक्षा पद्धति का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों,, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर आनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–लर्निग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो,''

''(ट) ''क्षे.त्रीय केन्द्र'' का तात्पर्य राज्य के ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वयविद्यालय द्वारा राज्य में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यो के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो,''

''(ढ़) 'अध्ययन केन्द्र का तात्पर्य राज्य के भीतर स्थित ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हो,

''(ऩ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून से है जिसकी समस्त गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वयविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा,''

धारा 7 के खण्ड (ख), (ग),(ज) एवं (झ) का प्रतिस्थापन

4– मूल अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ख,),(ग),(ज) एवं (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

''(ख) उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय परिसर और राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना,''

''(ग) राज्य के भीतर अनवरत एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना,''

''(ज) राज्य के भीतर विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ कराना,''

''(झ) राज्य के भीतर किसी संगठन के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करना तथा प्रोद्योगिकियों का व्यापारीकरण।''

आज्ञा से,
राम दत्त पालीवाल,
सचिव,

क्रम संख्या–04 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12 / xxxvi(3) / 2010 / 17(1) / 2009

देहरादून,06 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम ,2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2009

पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

1–(1) इस अधिनियमय का संक्षिप्त नाम पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम,2006 संशोधित अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2– पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 04,वर्ष 2006) में जहॉ–जहॉ शब्द ''उत्तरांचल'' आया है वहॉ ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उपधारा(1) के खण्ड (च),(ण), (द़) एवं (प)का प्रतिस्थापन

3– मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च),(ण),(द़) एवं (प) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

''(च) दूरस्थ शिक्षा पद्धति का तात्पर्य उस उस पद्धति से है जिसमें राज्य के भीतर शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों,, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–लर्निग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो,''

''(ण) ''क्षे.त्रीय केन्द्र'' का तात्पर्य राज्य में स्थित ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वयविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यो के निष्पादन के उद्देश्य से गयी हो,''

''(द) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो,''

''(प़) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पंतजलि विश्वविद्यालय से है जिसकी समस्त गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वयविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा,''

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4– मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3,) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात,''

''(3)पंतजलि विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, हरिद्वार में स्थित होगा तथा जैसे समय–समय पर वह अपनी अधिकारिता के अन्दर राज्य में अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं योग प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान संस्थान आदि की स्थापना कर सकेगा, परन्तु इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा,''

धारा 6 का प्रतिस्थापन

5– मूल अधिनियम की धारा 6 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(6) राज्य में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, योग प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं। पंतजलि विश्वविद्यालय राज्य के किसी अन्य अनुसंधान संस्थान व विश्वविद्यालय के साथ सामुहिक अनुसंधान कार्य कर सकता है किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। राज्य में परिसर के बाहर केन्द्र या अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय मानकों की स्थापना और उसके अनुरक्षण संबंधी) विनियम का भी पालन किया जाना होगा,''

सम्बद्धता

आज्ञा से,
राम दत्त पालीवाल,
सचिव,

क्रम संख्या–06 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 14 / xxxvi(3) / 2010 / 19(1) / 2009

देहरादून,06 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'पेंट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम ,2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2010)

पेंट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

1–(1) इस अधिनियमय का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय , (संशोधन) अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2– पेंट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 200.3) में जहॉ–जहॉ शब्द ''उत्तरांचल'' आया है वहॉ ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उपधारा(1) के खण्ड (च),(झ), (म) (ल)तथा (त्र) का प्रतिस्थापन

3– मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च),(झ),(म), (ल)तथा (त्र) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

''(च) 'संगठक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है,''

''(झ)''दूरस्थ शिक्षाा पद्धति'' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों,, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–लर्निग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो,''

''(म)'' 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर के ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के समन्वय,पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यो के निष्पादन के उद्देश्य से कीगयी हो,''

''(ल) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो,''

''(त्र) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय से है जिसकी समस्त गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वयविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा,''

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4– मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3,) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात,–

''(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह राज्य के भीतर तथा अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा,।''

आज्ञा से,
राम दत्त पालीवाल,
सचिव,

क्रम संख्या–03 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 11 / xxxvi(3) / 2010 / 16(1) / 2009

देहरादून,06 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम ,2003 (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009
(अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2010)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

1–(1) इस अधिनियमय का संक्षिप्त नाम हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2– हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2003 में जहॉ–जहॉ शब्द ''उत्तरांचल'' आया है, वहॉ ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उपधारा(1) के खण्ड (घ,(ट), (ढ़) तथा (ध)का प्रतिस्थापन

3– मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ),(ट),(ढ़) तथा (ध) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

''(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों,, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृष्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो,''

''(ट) ''क्षे.त्रीय केन्द्र'' का तात्पर्य राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वयविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यो के निष्पादन के उद्देश्य से गयी हो,''

''(ढ़) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो,''

''(ध़) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) से है जिसकी समस्त गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वयविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा,''

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4– मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3,) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात,''

''(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसे समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, वह राज्य में अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं जैड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय स्थापना के तीन वर्ष के अन्दर राज्य के तेरह जिलों में एक–एक अध्ययन केन्द्र स्थापित कर लेगा,''

धारा 4 की उपधारा (4) का निरसन

5– मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम दत्त पालीवाल,
सचिव,

सेवामें,

शत्रुध्न सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखंड शासन।

सेवामें,

1— कुलपति,
कुमायूँ विशविद्यालय,नैनीताल/उत्तराखंड मुक्त विद्यालय,हल्द्वानी/
दून विशविद्यालय,देहरादून तथा हे0न0 ब0 गढवाल विष्वविद्यालय(केन्द्रीय
विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढवाल।

2— निदेशक,
उच्च शिक्षा ,हल्द्वानी,जिला—नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग—6(उच्च शिक्षा देहरादून दिनांक 11 नवम्बर,2009

विषय— राज्य विश्वविद्यालय(कुमायूँ विश्वविद्यालय,नैनीताल/उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी/दून विश्वविद्यालय,देहरादून) राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यू0जी0सी0 के अनुरूप पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(उत्तराखंड में भी यथाप्रवृत्त)द्वारा नियंत्रित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के पूर्णकालिक यू0जी0सी0 वेतनधारी शैक्षिक एवं अन्य समकक्ष पदों को भी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संलग्न 02 पर उल्लिखित तालिका के स्तम्भ—3 के पूर्व वेतनमानों में स्तम्भ—4 के अनुसार पदनाम देते हुए स्तम्भ—6 के अनुसार वेतन बैंड तथा स्तम्भ—7 के अनुसार ग्रेड पे के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों(विशेष भत्ते को छोडकर) को दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू करने के आदेश देते हैं। पुनरीक्षित वेतनमान प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों कुमायूँ विश्वविद्यालय,नैनीताल/उत्तराखंड मुक्त विष्वविद्यालय,हल्द्वानी/दून विश्वविद्यालय,देहरादून तथा हे0न0 ब0गढवाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर(केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व अर्थात 14 जनवरी,2009 तक) राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों पर लागू होंगे।

2— मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या 1—32/2006—यू0—।।/यू—।(।) दिनांक 31 दिसम्बर,2008 की धारा—8 की उपधारा (a) से (f) में प्रस्तर (f) की अधिवर्षिता आयु के प्राविधान एवं अन्य मदों से राज्य सरकार के नियम लागू होंगे तथा अन्य उल्लिखित सभी Terms&Condition को अधीनस्थ राज्य विष्वविद्यालयों एवं निदेशक,उच्च शिक्षा हल्द्वानी द्वारा स्वीकार किया है। भारत सरकार की गाइड लाइन्स से आच्छादित होने वाले शैक्षिक एवं अन्य समकक्ष पदों के पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1—1—2006 को कार्यरत/भरे पदों के आधार पर 1—1—2006 से 31—3—2010 तक के अतिरिक्त व्ययभार का 80 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा समायोजित किया जायेगा शेष 20 प्रतिषत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3— दिनांक 1—1—2006 के उपरान्त भरे गये पदों तथा दिनांक 1—4—2010 के उपरान्त सम्पूर्ण सभी पदों का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

4— वेतनमानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी,2006 से 30 सितम्बर,2009 तक की अवधि के लिये देय अवशेष की धनराषि अध्यापकों के भविष्य निर्वाह निधि/अंषदायी भविष्य निधि में जमा की जायेगी। जिन अध्यापकों के भविष्य निर्वाह निधि/अंषदायी भविष्य निधि खाते न खुले हों और जो अंशदान पेंशन योजना के सदस्य हों उनका देय बकाया धनराशि से आवश्यक अंशदान तथा आयकर काटकर शेष धनराषि को रा0बचत पत्र के रूप में दी जायेगी।आयकर की परिधि में आने वाले शिक्षकों के संबंध में वर्णित अवशेषों का आंकलन कर नियमानुसार आयकर के स्त्रोत पर कटौती करने के उपरांत यदि(1)आयकर 20 प्रतिषत या उससे अधिक देय है तो समस्त आयकर कटौती के उपरांत अवशेषों को शिक्षकों के भविष्य निधि खाते

में जमा की जायेगी,अन्यथा (2) अवषेष पर देय आयकर के 20 प्रतिषत से कम होने की दषा में वास्तविक आयकर की कटौती के उपरांत समस्त अवषेष धनराशि शिक्षक के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

5— पुनरीक्षित वेतनमान निम्न प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये जायेगें—

(क) पुनरीक्षित वेतनमानों के कारण भारत सरकार की उक्त योजना के आधार पर दिनांक 1—1—2006 को कार्यरत/भरे पदों के अनुसार दिनांक 1—1—2006 से 31—3—2010 कुल व्यय भार का 80 प्रतिशत भारत सरकार तथा 20 प्रतिशत व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 1—1—2006 के उपरांत भरे गये पदों का तथा दिनांक 1—4—2010 के पश्चात सम्पूर्ण व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों,राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शैक्षिक वर्ग एवं समकक्ष वर्ग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 31 दिसम्बर,2008 के प्रस्तर—2 से 6 में उल्लिखित पदनाम एवं वेतनमान (विशेष भत्ते को छोडकर)बशर्ते पुनरीक्षित वेतनमानों के समकक्ष पुराने वेतनमान स्वीकृत हों, तथा उक्त दिषा निर्देश में अन्य सेवाशर्तो के प्रस्तर 8 एफ में अधिवर्षिता की आयु के प्राविधान एवं अन्य भत्तों में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे,को जोडते हुए तथा शेष प्राविधान को स्वीकार करते हुए वेतनमान यू0जी0सी0 की उक्त के अलावा अन्य सभी नियम,शर्तें तथा समस्त दिशा—निर्देश मान्य होंगें।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या 1—32/2006—यू0—।।/यू—।(।) दिनांक 31 दिसम्बर,2008 के प्रस्तर —8(p),(v),(g) में उल्लिखित शर्ते भी मान्य होंगी।

(घ) उक्त पुनरीक्षित वेतनमान के साथ विवविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

6— पुनरीक्षित वेतनमानों पर दिनांक 1—1—2006 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदों/वेतनमानों के लिये समय—2 पर प्रसारित शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता देय होगा।

7— नवीन वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिये उक्त प्रस्तर—2 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि की गणना का विवरण विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के मामले में संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा और महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं समकक्ष पदों के मामले में निदेशक,उच्च शिक्षा ,हल्द्वानी द्वारा तैयार किया जायेगा और उसकी सूचना षासन /यू0जी0सी0 को यथाशीघ्र भेजी जायेगी ताकि उसके अनुसार वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा सकें।

8— दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु शिक्षकों को निम्नानुसार विकल्प देना होगा—

(1) प्रत्यके शिक्षक जो दिनांक 01 जनवरी,2006 को पूर्णकालिक सेवा में था का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक शिक्षक वर्तमान वेतनमान में अपनी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा उसके पद रिक्त करने या उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोडने तक वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

(3) संबंधित शिक्षकों को विकल्प का चयन लिखित रूप से संलग्नक—1 पर उपलब्ध विकल्प पत्र का प्रारूप में देना होगा और यह विकल्प संबंधित षिक्षक के नियुक्ति प्राधिकारी /वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी जो भी संबंधित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका रखता हो,को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पहुंच जाना चाहिये।

(4) उपर्युक्त भांति दिये गये विकल्प की उक्त संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति स्वीकार की जायेगी।

(5) अगर संबंधित शिक्षक का लिखित विकल्प उपर्युक्त प्रस्तर—3 के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं प्राप्त होता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसे पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार्य है और उसका दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण कर दिया जाय।

(6) एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा।

(7) जिन शिक्षकों की सेवायें दिनांक 1—1—2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गयी हों तो स्वीकृत पदों की समाप्ति के फलस्वरूप सेवा मुक्त कर दिये गये हो,सेवा त्याग(इस्तीफा)

अनुशासनहीनता के मारण सेवामुक्त या बरखास्त किये गये हों,को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

(8) जो शिक्षक दिनांक 1–1–2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गये और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतनमान के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सकें के मामले में 1–1–2006 या उसके बाद की किसी भी तिथि से जो भी उसके आश्रितों के लिये लाभप्रद हो पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिये तत्संबधी उचित कार्यवाही की जायेगी।

9– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप एरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में एवं अवशेष 60 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010.–11 में देय आयकर तथा नयी पेंशन योजना में अंशदान को काटकर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किया जायेगा जिसे आगामी तीन वर्षो तक नहीं निकाला जा सकेगा केवल सेवानिवृत्त या मृत या सेवा छोड चुके कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी उनको एरियर का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 1–1–2006 या इसके बाद नियुक्त समस्त पदधारकों को एरियर का भुगतान प्रस्तर–11 के अनुसार 03 वर्षों में क्रमषः40:30:30 प्रतिशत के अनुसार देय आयकर तथा नई पेंशन योजना के अन्तर्गत देय अंशदान काटकर किया जायेगा।

(10) पेंशन आदि के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या 1–32/2006–यू0–।।/यू–।(।) दिनांक 31 दिसम्बर,2008 की धारा 8 की उपधारा (ग) एवं राज्य सरकार की शर्तो के अनुसार अनुमन्य होंगी एवं पेंशनर का पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि की पेंशन भुगतान 40 प्रतिषत वित्तीय वर्ष 2009–10,30प्रतिशत 2010–11 तथा अवशेष 30प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2011–12 में नकद भुगतान किया जायेगा।

(11) विश्वविद्यालयों,महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं समकक्ष पदों को पुनरीक्षित वेतनमानों में मकान किराया भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार अनुमन्य दरों पर जिस दिनांक से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य किये गये हैं,उसी तिथि से देय होंगे।

(12) मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या 1–32/2006–यू0–।।/यू–।(।) दिनांक 31 दिसम्बर,2008 के प्रस्तर 3–।। के अनुसार अधीनस्थ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वेतनमान जो पूर्व में रू0 25,000 प्रतिमाह नियत था,को पुनरीक्षित करते हुए रू0 75,000 प्रतिमाह नियत किया जाता है परन्तु विशेष वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

(13) वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेशों की भांति प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी व जुलाई में ही देय होगी लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम छः माह का पूरा समय होने पर प्रथम वेतनवृद्धि देय होगी।

(14) यदि कोई शिक्षक वर्तमान वेतनमान में दिनांक 1–1–2006 के तुरन्त पहले संवर्ग में अपने कनिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन पा रहा है तथा पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन यदि कनिष्ठ शिक्षक के वेतन से कम निर्धारित होता है तो वरिष्ठ शिक्षक का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उस कनिष्ठ शिक्षक के बराबर कर दिया जायेगा।

(15) इन वेतनमानों में दी गई योजना के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट,पी0एचडी0/एम0फिल0 के लिये प्रोत्साहन आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(उत्तराखंड में भी यथा प्रवृत्त)के अधीन बनाये गये परिनियमों,अध्यादेशों,नियमों,विनियमों,आदि में विश्वविद्यालय द्वारा इस आदेश के निर्गमन की तिथि के तीन माह के भीतर आवश्यक प्राविधान कर लिये जायेंगे।

(16) उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विष्वविद्यालयों,राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान पद एवं वेतनमानों में संशोधनोपरान्त प्रस्तावित पदनाम में वेतनमान का विवरण संलग्नक–2 पर प्रस्तुत है।

(17) उक्त निर्णय व आदेशों से सभी संबंधित विष्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को शीघ्र अवगत करा दिया जायेगा और ष्इसकी सूचना ष्षासन को भेज दी जायेगी।

(18) यह आदेश वित्त विभाग के अषासकीय संख्या 2085/xxvii(7)/2009 दिनांक 09 नवम्बर,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि,।

भवदीय,
शत्रुध्न सिंह,
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या /VII/XXIV(6)/2008/2009 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार,उत्तराखंड,ओवेराय बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।

(2) उपसचिव,,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 1–32/2006–यू0–।।/यू–।(।) दिनांक 31 दिसम्बर,2008के संदर्भ में सूचनार्थ

(3) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

(4) अपर सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तराखंड

(5)निदेशक,स्थानीय निधि लेख उत्तराखंड,लक्ष्मी रोड,देहरादून।

(6) वित्त अनुभाग–3 एवं 7 उत्तराखंड शासन।

(7) उच्च शिक्षा अनुभाग–7उत्तराखंड शासन।

(8) निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

(9) उप निदेशक ,राजकीय मुद्रणालय,रूडकी को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ।

(10) संबंधित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तराखंड।

(11)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राधिका झा,
अपर सचिव

संलग्नक–1
(1) मैं .....दिनांक 1 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता हूँ।
(2) मैं..... मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये अनुसार वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ जब तक कि–

- मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि.....
- मेरी बाद की वेतन वृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन.....रू0 न हो जाय।
- मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्रापत करना बन्द कर दूँ/छोड दूँ।
- वर्तमान वेतनमान रू0.....

हस्ताक्षर–
नाम
पदनाम
कार्यालय का नाम

दिनांक
स्टेशन

1. उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल,दून विश्वविद्यालय,देहरादून तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी में वर्तमान पद एवं वेतनमानों में संशोधनोपरान्त प्रस्तावित पदनाम व वेतनमानों का विवरण–

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	वर्तमान वेतनमान 1–1–2006 से पूर्व	दिनांक 1–1–2006 से संशोधित वेतन संरचना / ढ़ाचा			
			प्रस्तावित पदनाम	वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रवक्ता,	8000–275–13500	असिस्टेंट प्रोफेसर,	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6000
2	रीडर (उपाचार्य)	12000–420–18300	एसोसिएट प्रोफेसर,	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	8000
5	प्रोफेसर (आचार्य)	16400–22400	प्रोफेसर	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000
1	क्यूरेटर समकक्ष प्रवक्ता पद	8000–275–13500		वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6000

2. उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय महाविद्यालय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वर्तमान पद एवं वेतनमानों में संशोधनोपरान्त प्रस्तावित पदनाम व वेतनमानों का विवरण–

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	वर्तमान वेतनमान 1–1–2006 से पूर्व	दिनांक 1–1–2006 से संशोधित वेतन संरचना / ढ़ाचा			
			प्रस्तावित पदनाम	वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रवक्ता, एवं पु0अ0	8000–275–13500	असिस्टेंट प्रोफेसर,	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6000
2	प्रवक्ता च0वे0	10000–325–15200	तदैव	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7000
3	प्रवक्ता च0वे0 एवं सहायक निदेशक	12000–420–18300 एजीपी0 8000 में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर	तदैव एसोसिएट प्रोफेसर, एवं सहायक निदेशक	वेतन बैण्ड–3 वेतन बैण्ड–4	15600–39100 37400–67000	8000 9000

4	स्नातक प्राचार्य एवं उ0नि0	12000–420–18300 न्यूनतम 12840	स्नातक प्राचार्य एवं उ0निदेशक	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000
5	स्नातकोत्तर प्राचार्य एवं सं0निदेशक	16400–22400 न्यूनतम 17300	स्नात0प्राचार्य एवं संयुक्त निदेशक	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000
6	निदेशक	18400–500–22400	निदेशक	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000

Table -1

(1) Incumbment Asstt.Professor
(2) Incumbment Asstt.Librarian/College Librarian
(3) Incumbment Asstt.Director of Phy.Edu./College Director of Physical Education

Pre-revised scale(Group A entry)
Rs.8000-275-13500
(Group A entry)

Revised Pay Band+ A.Grade Pay
PB-2 Rs.15600-39100+AGP 6000

Pre-revised Bassic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the pay band	Academic Grade Pay	Revised Basic pay
8000	15600	6000	21600
8275	15600	6000	21600
8550	15910	6000	21910
8825	16420	6000	22420
9100	16930	6000	22930
9375	17440	6000	22440
9650	17650	6000	23950
9925	18470	6000	24470
10200	18980	6000	24980
10475	19490	6000	25490
10750	20000	6000	26000
11025	20510	6000	23510
11300	21020	6000	27020
11575	21530	6000	27530
11850	22050	6000	28050
12125	22560	6000	28560
12400	23070	6000	29070
12675	23580	6000	29580
12950	24090	6000	30090
13225	24600	6000	30600
13500	25110	6000	31110
13375	25630	6000	31630
14050	26140	6000	32140
14325	26650	6000	32650

Table -2

1-Incumbment Asstt. Professor(Formerly Lecturer(Sr.Scale.)
2-Incumbment Asstt.Librarian Sr.Scale /College Librarian Sr.Scale
3-Incumbment Asstt.Director of Phy.Edu.Sr.Scale /College Director of Physical Education Sr.Scale.

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band+ A.Grade Pay
PB-2 Rs.15600-39100+AGP 7000

Pre-revised Bassic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the pay band	Academic Grade Pay	Revised Basic pay
10000	18600	7000	25600
10325	19210	7000	26210
10650	19810	7000	26810
10975	20420	7000	27420
11300	21020	7000	28020
11625	21630	7000	28630
11950	22230	7000	29230
12275	22840	7000	29840
12600	23440	7000	30440
12925	24050	7000	31050
13250	24650	7000	31650
13575	25250	7000	32250
13900	25860	7000	32860
14225	26460	7000	33460
14550	27070	7000	34070
14875	27670	7000	34670
15200	28280	7000	35280
15525	28880	7000	35880
15850	29490	7000	36490
19175	30090	7000	37090

Table -3

1-Incumbment Readers and Lecturers(Sr.Scale.)with less than 3 years of Service

2-Incumbment Dy.Librarian /Asstt.LibrarianSr.Grade /College Librarian Sr.Grade with less than 3 years of service

3-Incumbment Dy.DPE/Asst.DPE S.G./College DPE,S.G. with less than 3 years of service

Pre-revised scale Revised Pay Band+ A.Grade Pay

Rs.12000-420-18300 Rs.37400-67000+AGP 8000

Pre-revised Bassic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the pay band	Academic Grade Pay	Revised Basic pay
12000	22320	8000	30320
12420	23110	8000	31110
12840	23890	8000	31890
13260	24670	8000	32670
13680	25450	8000	33450
14100	26230	8000	34230
14520	27010	8000	35010
14940	27790	8000	35790
15360	28570	8000	36570
15780	29360	8000	37360
16200	30140	8000	38140
16620	30920	8000	38920
17040	31700	8000	39700
17460	32480	8000	40480
17880	33260	8000	41260
18300	34040	8000	42040
18720	34820	8000	42820
19140	35610	8000	43610
19560	36390	8000	44390

Table -4

1-Incumbment Readers and Lecturers(Sr.Scale.)with 3 years of Service

2-Incumbment Dy.Librarian /Asstt.LibrarianSr.Grade /College Librarian Sr.Grade with 3 years of service

3-Incumbment Dy.DPE/Asst.DPE S.G./College DPE,S.G. with 3 years of service

Pre-revised scale Rs.12000-420-18300

Revised Pay Band+ A.Grade Pay Rs.37400-67000+AGP 9000

Pre-revised Bassic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the pay band	Academic Grade Pay	Revised Basic pay
13260	37400	9000	46400
13680	37400	9000	46400
14100	37400	9000	46400
14520	37400	9000	46400
14940	38530	9000	47530
15360	38530	9000	47530
15780	39690	9000	48690
16200	39690	9000	48690
16620	40890	9000	49890
17040	40890	9000	49890
17460	42120	9000	51120
17880	42120	9000	51120
18300	43390	9000	52390
18720	43390	9000	52390
19140	44700	9000	53700
19560	44700	9000	53700

Table -5

1-Incumbment Professor in colleges and Universities
2-Incumbment Principal of P.G.Colleges
3-Incumbment Librarian (University)
4-Incumbment Director of Physical Education(University

Pre-revised scale Revised Pay Band+ A.Grade Pay
Rs.16400-450-20900-500-22400(S27&S29) Rs.37400-67000+AGP 10000

Pre-revised Bassic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the pay band	Academic Grade Pay	Revised Basic pay
16400	40890	10000	50890
16850	40890	10000	50890
17300	42120	10000	52120
17750	42120	10000	52120
18200	43390	10000	53390
18650	43390	10000	53390
19100	44700	10000	54700
19550	44700	10000	54700
20000	46050	10000	56050
20450	46050	10000	56050
20900	47440	10000	57440
21400	47440	10000	57440
21900	48870	10000	58870
22400	48870	10000	58870
22900	50340	10000	60340
23400	50340	10000	60340
23900	51860	10000	61860

Table -6

1-Incumbment Principal of U.G.Colleges

Pre-revised scale Rs.12000-420-18300

Revised Pay Band+ A.Grade Pay Rs.37400-67000+AGP 10000

Pre-revised Bassic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the pay band	Academic Grade Pay	Revised Basic pay
12840	37400	10000	47400
13260	37400	10000	47400
13680	37400	10000	47400
14100	37400	10000	47400
14520	37400	10000	47400
14940	38530	10000	48530
15360	38530	10000	48530
15780	39690	10000	49690
16200	39690	10000	49690
16620	40890	10000	50890
17040	40890	10000	50890
17460	42120	10000	52120
17880	42120	10000	52120
18300	43390	10000	53390
18720	43390	10000	53390
19140	44700	10000	54700
19560	44700	10000	54700

Table 7

1-Incumbment Registrars in Universities and Deeemed to be Universities fully funded by the CentralGovernment

Pre-revised scale Rs.16400-450-20900-500-22400(S27&S29)		Revised Pay Band+ A.Grade Pay Rs.37400-67000+GP 10000	
16400	40890	10000	50890
16850	40890	10000	50890
17300	42120	10000	52120
17750	42120	10000	52120
18200	43390	10000	53390
18650	43390	10000	53390
19100	44700	10000	54700
19550	44700	10000	54700
20000	46050	10000	56050
20450	46050	10000	56050
20900	47440	10000	57440
21400	47440	10000	57440
21900	48870	10000	58870
22400	48870	10000	58870
22900	50340	10000	60340
23400	50340	10000	60340
23900	51860	10000	61860

Table -8

(1)Incumbment Dy.Registrar /Dy.Finance officer/Dy.Controllor of Examination with less than 5 yrs of service universities and Deemed to be Universities fully funded by the central government.

Pre-revised scale Rs.12000-420-18300

Revised Pay Band+ A.Grade Pay Rs.15600-39100+ GP 7600

Pre-revised Bassic Pay	**Revised Pay**		
	Pay in the pay band	Academic Grade Pay	Revised Basic pay
12000	22320	7600	29920
12420	23110	7600	30710
12840	23890	7600	31490
13260	**24670**	7600	32270
13680	**25450**	7600	33050
14100	26230	7600	33830
14520	27010	7600	34610
14940	27790	7600	35390
15360	28570	7600	36170
15780	29360	7600	36960
16200	30140	7600	37740
16620	30920	7600	38520
17040	31700	7600	39300
17460	32480	7600	40080
17880	33260	7600	40860
18300	34040	7600	41640
18720	34820	7600	42420
19140	35610	7600	43210
19560	36390	7600	43990

संख्या 283 / xxvii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून दिनांक 07 जनवरी, 2010

विषयः– वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में गठित उत्तराखण्ड वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन मतें की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को तब तक न भरा जाय जब तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रमुख सचिव वित्त, प्रशासनिक विभाग के मुख्य सचिव / सचिव तथा कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव हो, द्वारा यह समीक्षा न कर ली जाय कि कौन से कार्य बाह्य स्रोतों (out sourcing) द्वारा कराया जाय। जिन पदों की निरन्तरता का निर्णय लिया जाय तथा जहॉ पर पूर्व से पदों पर व्यक्ति कार्यरत है, ऐसे पदधारकों हेतु मिनिस्ट्रियल संवर्ग की भांति staffing pattern निम्नवत लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0 सं0	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतन संरचना			समूह 'घ' में सृजित कुल पदों का निर्धारित प्रतिशत
		वेतन बैड / वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैंड / वेतनमान	सदृश्य ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300	35%
2	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650	30%
3	2750–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800	25%
4	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900	10%

(3) कुछ अधिष्ठानों/विभागों, जहां समूह 'घ' के कम संख्या में पद उपलब्ध है, वहॉ पर उक्तानुसार प्रतिशत के आधार पर विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसे देखते हुए उचित होगा कि जिन विभागों में समूह 'घ' के पदों की संख्या 10से कम है, वहां पर इस संदर्भ के पदों का विभाजन विभिन्न ग्रेडों में निम्नानुसार किया जायः–

क्र0 सं0	समूह 'घ' के पदों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
		समूह 'घ' वेतन बैड एवं ग्रेड पे रू0 4440–7440,1300	समूह 'घ' वेतन बैड एवं ग्रेड पे रू0 4440–7440,1650	समूह 'घ' वेतन बैड एवं ग्रेड पे रू0 5200–20200,1800	समूह 'घ' वेतन बैड एवं ग्रेड पे रू0 5200–20200,1900
1	1	1	–	–	–
2	2	1	1	–	–
3	3	1	1	1	–
4	4	1	1	1	1
5	5	2	1	1	1
6	6	2	2	1	1
7	7	2	2	2	1
8	8	3	2	2	1
9	9	3	3	2	1

भवदीय
ह0
(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः283(1)/XXVii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6– स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनउ।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11– इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0
(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

प्रेषक,

शत्रुधन सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी–नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांकः 11 फरवरी, 2010

विषय–उत्तराखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा, अंशकालिक एवं विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय एवं पदनाम एक समान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 948/XXiV(7)1(1)/2009 दिनांकः 30–9–2009 कस सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के द्वारा अंशकालिक एवं विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय उपं पदनाम एक समान किया गया था।

संविदा एवं विजिटिंग प्रवक्ताओ का मानदेय एक समान किये जाने का तात्पर्य यह भी था कि संविदा प्रवक्ताओं का मानदेय निर्धारण विजिटिंग प्रवक्ताओं की भॉति ही किया जायेगा। उक्त के विपरीत कई महाविद्यालयों से यह सूचना प्राप्त हुयी है कि संविदा प्रवक्ताओं का मानदेय निर्धारण पृथक नीति से किया जा रहा है। अतः उक्त शासनादेश के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा प्रवक्ताओं का मानदेय निर्धारण विजिटिंग प्रवक्ताओं की भंति ही किया जाय।

भवदीय,

(शत्रुधन सिंह)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0 (1)XXiV(7)1(1)–11/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त प्राचार्य राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
5– निदेशक,एन.आई.सी सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3 एवं –7 उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः304 / XXiV(7) / 2009
देहरादून,दिनांकः 07 अक्टूबर,2009
कार्यालय ज्ञाप

विषयः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के नियम–72(4) के अर्न्तगत हिल्टान को छूट दिये जाने विषयक।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के नियम 72(4) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रम यू0पी0 हिल इलैक्टोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड(हिल्टान) को आई0टी0 की विशेषज्ञता के दृष्टिगत छूट देते हुए केवल आई0टी सपोर्ट सर्विसेज के लिए बाहय स्रोतों से सेवायें कराये जाने के लिए 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में क्रय वरीयता एवं मूल्य वरीयता दिये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. बाह्य स्रोतों से सेवायें लिये जाने के लिए अधिप्राप्ति नियमसवली,2008 के नियम–2(4) के अन्तर्गत रू0 10 लाख(रू0 दस लाख मात्र) तक की बाह्य स्रोतों से कार्य (Outsourcing of Services) राज्य सरकार के विभाग, उपक्रम या संस्थान द्वारा हिल्टान से एकल स्त्रोत चयन के आधार पर आवश्यकता, औचित्यता, बजट की उपलब्धता एंव प्राइसेस की रिजनेबलनस के आधार पर कराये जाने की भी एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त छूट की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी और यह दिनांक 31 मार्च,2011 तक अनुमन्य होगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्याः304(1) XXiV(7) / 2009, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून।
3– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 हिल इलैक्टोनिक्स कारपोरेशन लि0, 252,इन्दिरा नगर, देरहादून।
6– रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल,उत्तराखण्ड।
7– रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

9— समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10— समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
11— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12— निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

केशव देसिराजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी(नैनीताल)

शिक्षा अनुभाग–7(उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर,2009

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा, अंशकालिक एवं विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय एवं पदनाम एक समान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः डिग्री बजट 7086/2009–2010 दिनांक 25.9.2009 के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा विभाग के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के अत्यधिक संख्या में रिक्त पदों को देखते हुए सुचारू पठन–पाठन की दृष्टि से समय–समय पर संविदा के आधार पर कार्यरत विजिटिंग,संविदा एंव अंशकालिक प्रवक्ताओं (राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी में कार्यरत) को पूर्व में शासनादेशों में अनुमन्य व्यवस्था के तहत क्रमशः अधिकतम प्रतिमाह मानदेय रू0 15000/–,रू0 10000/– एवं रू0 10000/– की व्यवस्था की गयी है।

एक समान अर्हता, मापदण्ड,कार्यदायित्वों एवं सेवा शर्तो के होते हुये भी विभिन्न दरों पर मानदेय भुगतान व विभिन्न नाम से नियुक्त उक्त संविदा प्रवक्ताओं को समान कार्य के लिए समान पदनाम व मानदेय दिये जाने के संबंध में शासन द्वारा किये गये सम्यक् विचारोपरान्त एकरूपता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत विजिटिंग प्रवक्ताओं, संविदा प्रवक्ताओं तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं (राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी में कार्यरत) की एक समान अर्हता, कार्यदायित्व एंव सेवा शर्तो के दृष्टिगत एक समान प्रतिमाह मानदेय रू0 15000/–(रूपये पन्द्रह हजार मात्र) एवं एक समान पदनाम संविदा प्रवक्ता दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अन्य शर्ते व मापदण्ड पूर्व की भॅाति यथावत रहेगें।

2. पुनरीक्षित मानदेय की दर 01 अक्टूबर,2009 से प्रभावी होगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 253/वित्त अनुभाग–3/2007 दिनांकः 29.9.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(केशव देसिराजू)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठाकंन संख्याः946(1) XXiV(7)/2009, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त प्राचार्य,राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
5– निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3, एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव वित्त,
हल्द्वानी(नैनीताल)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय महालेखाकार(ले0एवं हक0) उत्तराखण्ड,देहरादून के सलंग्न पत्र संख्या–निधि–1/मिलान/742 दिनांकः 23.10.2009 का अवलोकन करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विभागों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगमान के प्रकरण महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु अत्यधिक विलम्ब से प्रेषित किये जा रहें हैं, जिससे ऋणात्मक प्रकरणों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों (श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को छोड़कर) के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान हेतु अभिदाता के पासबुक का मिलान महालेखाकार कार्यालय से छः माह पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे सेवानिवृत्ति के दिनांक तक अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि का 90 प्रतिशत भुगतान किया जा सके। अतः इस सम्बन्ध में अपने–अपने विभाग के विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोवत।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त